संख्या- 30/2017/652/74-2-2017-14(ब)/2017

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-ऐरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)" के अन्तर्गत अवशेष सात माह हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या::343/सेरी0/लेखा/बजट मांग/2017-18 दिनांक 17 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-22/2017/180/74-2-2017-13(ब)/2017 दिनांक 18-05-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-ऐरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)" में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 10.00 लाख के सापेक्ष अवशेष सात माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018) हेतु रू0 5.83 लाख (रूपए पाँच लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

मद सं0	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	प्रथम पाँच माह हेतु अवमुक्त धनराशि	अवशेष सात माह हेतु अवमुक्त धनराशि
26	मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00	4.17	5.83
योग		**10.00**	**4.17**	**5.83**

(रूपए पाँच लाख तिरासी हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2018 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में दिए गए शर्तो/नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-ऐरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 एवं समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 30/2017/652(1)/74-2-2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(6) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(7) नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) अनुभाग।
(8) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(श्रीनाथ राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in